न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 15/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. आंनदसिंह पुत्र कैलाशसिंह चारण ग्राम खेण तहसील मूण्डवा पार्टनर 1 2. राजमल काला पुत्र अर्जुनराम काला निवासी बलाया हाल हनुमान बाग कालोनी नागौर पार्टनर 2 3. नरपत पुत्र बस्तीराम ग्राम ईनाणा तहसील मूण्डवा जिला नागौर वाहन चालक 4. रामाकिशन पुत्र पुनाराम जाट निवासी खुड़खुड़ा तह. मूण्डवा हैल्पर 5. जुगलकिशोर शर्मा पुत्र माधुलाल निवासी मूण्डवा मैनेजर गैस एजेंसी।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल।
2. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री दिनेश हेडा।

निर्णय दिनांक– 01/07/2019

1. मामले का सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के अर्न्तगत घरेलू रसोई गैस के मैसर्स सन्त्या गैस एजेन्सी मूण्डवा द्वारा दी जा रही गैस सप्लाई के सिलेण्डरों में निर्धारित मात्र से कम गैस देने बाबत की गई जांच के दौरान सीज किये गये 74 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं गाडी नं. आर.जे.21 जी.बी. 8080 टाटा 407 को सम्पहरित (Confiscate) कर राज सात करने के आदेश बाबत दिनांक 24.01.2018 को प्रस्तुत किया है।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, दर्ज रजिस्टर किया, अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
3. प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक व वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी।
4. प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक का बहस में कथन रहा कि ग्राम संखवास में वक्त जांच मौके पर मैसर्स सन्त्या गैस ऐजेन्सी मूण्डवा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर की सप्लाई ग्राम संखवास में देने के लिए वाहन संख्या आर.जे.21 जी.बी. 8080 टाटा 407 मौके पर खडी पाई गई, गाडी के ड्राईवर नरपत पुत्र बस्तीराम ने पुछताछ में उसके पास सत्या गैस ऐजेन्सी की गोदाम का गेट पास नहीं होना बताया एवं उक्त वाहन में एक अन्य व्यक्ति रामाकिशन पुत्र पुनाराम जाट ने भी गैस डिलेवरी वाहन का ड्राईवर एवं हेल्पर के रूप में कार्य करना बताया। मौके पर वाहन संख्या आर.जे.21 जी.बी. 8080 के भरे सिलेण्डरों का रेंडमली कुल 30 सिलेण्डरों का वजन कराया गया, जिनकी सीलें टूटी हुई पाई गई तथा दिनांक 21.01.2018 को मैसर्स सन्त्या गैस ऐजेन्सी मूण्डवा के जब्त 74 घरेलू गैस सिलेण्डर को श्री मैसर्स नागौर गैस सर्विस नागौर को सुपुर्द किया। 30 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 29 घरेलू गैस सिलेण्डरों में कम्पनी नियमानुसार गैस मात्रा कम पाई जाने का कथन करते हुऐ उक्त गाड़ी नम्बर आर.जे.21 जी.बी. 8080 टाटा 407 व 74 गैस सिलेण्डरों को सम्पहरित (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।
5. वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मैसर्स संत्या गैस ऐजेन्सी द्वारा कभी भी किसी भी उपभोक्ता को कम तोल का सिलेण्डर नहीं दिया, न ही किसी भी सिलेण्डर की कोई सील तोड़ नहीं दी गई। अप्रार्थीगण फर्म के यहां बोटलिंग प्लांट से जो गैस सिलेण्डर प्राप्त होते हैं, उनमें से त्रुटिपूर्ण सिलेण्डर को हटाकर सही सिलेण्डर को उपभोक्ताओं को सुपुर्द किये जाते है। मौके पर किसी भी सिलेण्डर की सील टूटी हुई मिली ओर सील को जब्त किया गया हो, ऐसे कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है और न ही मौके पर गैस निकालने का कोई उपकरण, कोसुरी आदि मिला है, अप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत कार्यवाही की गई है। कुछ गैस सिलेण्डरों में सिलेण्डर पर अंकित वजन से ज्यादा गैस भी पाई गई

कलक्टर, नागौर

है। प्रवर्तन निरीक्षक मुरारीलाल के द्वारा दिनांक 21.01.2018 को गैस सिलेण्डर का जिस प्रकार से वजन करना बताया है, वस्तुतः इस प्रकार तोल की कार्यवाही की जाना आवश्यक हो तो विधि अनुसार मौके पर निरीक्षक विधिक माप विज्ञान का बुलाया जाकर गैस सिलेण्डरों का तौल मानक बाट व माप अधिनियम 1976 की धारा 28(7) के प्रावधानों के तहत किया जाना आवश्यक होता है, जो कि नहीं किया गया है। वकील अप्रार्थीगण ने बहस जारी रखते हुऐ मुख्य रूप से कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में श्री मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा न्यायालय हाजा में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यों के आधार पर ही पुलिस थाना भावण्डा में धारा 3/7 ई.सी. एक्ट के अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.10.2018 को दर्ज करवाई गई है, का कथन करते हुऐ वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

6. रेकार्ड का अवलोकन किया गया एंव प्रार्थी प्रर्वतन निरीक्षक व वकील अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में रसद विभाग द्वारा दिनांक 21.01.2018 को ग्राम संखवास में वक्त जांच मौके पर मैसर्स सन्त्या गैस ऐजेन्सी मूण्डवा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर की सप्लाई ग्राम संखवास में देने के लिए वाहन संख्या आर.जे.21 जी.बी. 8080 टाटा 407 मौके पर खडी पाई गई, गाडी के ड्राईवर नरपत पुत्र बस्तीराम ने पुछताछ में उसके पास सत्त्या गैस ऐजेन्सी की गोदाम का गेट पास नहीं होना बताया एवं उक्त वाहन में एक अन्य व्यक्ति रामाकिशन पत्र पुनाराम जाट ने भी गैस डिलेवरी वाहन का ड्राईवर एवं हेल्पर के रूप में कार्य करना बताया। मौके पर वाहन संख्या आर.जे.21 जी.बी. 8080 के भरे सिलेण्डरों का रेंडमली कुल 30 सिलेण्डरों का वजन कराया गया, जिनकी सीलें टूटी हुई पाई गई, तथा दिनांक 21.01.2018 को मैसर्स सन्त्या गैस ऐजेन्सी मूण्डवा के जब्त 74 घरेलू गैस सिलेण्डर को श्री मैसर्स नागौर गैस सर्विस नागौर को सुपुर्द किया। उक्त संबंध में तैयार मौका फर्द रूबरू गौतबीरान तैयार की गई है एवं रूबरू गौतबिरान ही उपरोक्तानुसार 30 वजन करवाया गया। उक्तानुसार की गई कार्यवाही के खण्डन में वकील अप्रार्थीगण द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है एवं न ही बहस में कोई ठोस किये है। जहां तक वकील अप्रार्थी का कथन है कि उक्त संबंध में पुलिस थाना भावण्डा में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा अदम वकू (तथ्य की भूल) में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जा चुकी है। उक्त संबंध में न्यायालय में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में न्यायालय द्वारा एफ.आर. स्वीकृत करने के संबंध में कोई तथ्य वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार मैसर्स सन्त्या गैस एजेन्सी मूण्डवा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों में से गैस निकालकर दुरूपयोग किया है। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रयुक्त वाहन गाड़ी नम्बर आर.जे.21 जी.बी. 8080 टाटा 407 व 74 गैस सिलेण्डरों को सम्पहरित (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

7. इस प्रकार प्रकरण मे तथ्यो का समग्रता से अध्ययन एंव मनन के उपरान्त प्रार्थी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही दिनांक 21.01.2018 सही प्रतीत होती है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत मैसर्स सन्तया गैस सर्विस (इंडेन) मूण्डवा के 74 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस जब्त कर सुपुर्दगीनामा दिनांक 21.01.2018 से नागौर गैस सर्विस को सुपुर्द किये गये 74 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस तथा वाहन गाड़ी नम्बर आर.जे.21 जी.बी. 8080 टाटा 407 को सम्पहरण (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त जब्तशुदा 74 घरेलू सिलेण्डरो मय गैस के सम्बधित कम्पनी के माध्यम से नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने तथा उक्त 74 घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं गैस की कीमत के बराबर अप्रार्थी संख्या–1 व 2 से संयुक्त रूप जुर्माना वसूल किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस निर्णय की दिनांक से एक माह की कालावधि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर जब्तशुदा वाहन गाड़ी नम्बर आर.जे.21 जी.बी. 8080 टाटा 407 को छोड़े जाने के आदेश दिये जाते है। यदि अप्रार्थी संख्या–1 व 2 द्वारा उक्त नियत एक माह की कालावधि में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाये जाने पर उक्त जप्ताशुदा वाहन गाड़ी नम्बर आर.जे.21 जी.बी. 8080 टाटा 407 की खुली नीलामी की जाकर जुर्माना राशि वसूल किये जाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित की जाती हैं तथा पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर नागौर